

डिगन केकर

बनाम

अंतर सिंह

किस्म मुकदमा

दावा

मु. नं.

५००/१५

वर्ष

दिनांक

आज्ञा-पत्र

13/9/19

पत्रावली मिलल तलबी के आवेदन पत्र पर पेश  
हुई। वादिया के द्वारा आवेदन बाबत ~~आवेदन~~  
वाद-पत्र को नोट प्रेश में श्वारिज करवाने हेतु  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि  
वादिया अपना वाद-पत्र भागे नहीं चलाना  
चाहती है तथा वादिया की पहचान उनके अधिवक्ता  
श्री बजरंग सिंह शिखावत द्वारा की गई। अतः  
पत्रावली नोट प्रेश में श्वारिज की जाती है।  
अतः पत्रावली फलतः शुभ्राह्मण ही कर नम्बराने  
कम ही।

144  
उपखण्ड अधिकारी  
घोद मु. सीकर